

दल बल में दुर्घटनाएँ

- 1) राज्यों तथा प्रदेशों में सरकारें राजनीतिक अस्थिरता का शिकार बन गईं
- 2) दल बल युग में स्वतंत्रता के काम शुरू होने से राजनीतिक गठान्याह को बढ़ावा मिला है
- 3) भारी-भरकम औद्योगिक वर्गों के संघों का उभरना शुरू हुआ मुख्यतः प्रशासन पर पड़ने लगा
- 4) राजनीतिक दलों में डावलरवादी राजनीति ने विघटन पैदा किया। छोटे-छोटे दल बनने लगे
- 5) राजनीतिक दलों में अन्तर्द्वेषत्व की भावना बढ़ने लगी
- 6) जनता का राजनीतिक दलों और उनकी नीतियों पर से विश्वास उठ गया
- 7) दल बल में डावलरवादी और नैतिकता विहीन राजनीति ने देहा के सावधानिक जीवन में आपराधिक तत्वों का प्रवेश करा दिया
- 8) राजनीतिक दल बल से राष्ट्रीय हितों की अवहेलना होती है।
- 9) प्रशासन बेतुल ब्रिचिक हो जाता है।
- 10) विधान मंडल और विधानमंडल का संसदों की प्रतिष्ठा गिर जाती है।

द्वितीय पक्ष (Abolition of Privy Purse)

देवाी रिजालता का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था कि रिजालता में तत्कालीन शासन परिवार के निर्विघ्न मातापिता निज्जी संपदा शुरू करने का अधिकार होगा। साथ ही सरकार को तब से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिये जायेंगे। इस व्यवस्था को द्वितीय पक्ष कहा गया।

1967 में चुनावों के बाद इंदिरा गांधी ने द्वितीय पक्ष की मांग को खत्म करने की मांग को सम्भलन किया। इंदिरा गांधी ने 1970 में संविधान में संशोधन के प्रस्ताव किये। लेकिन राष्ट्र सभा में इसे मंजुरी नहीं पा सका।